"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2016 — ज्येष्ठ 26, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-58/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/810 रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

थबिरो यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, लैलूंगा, जिला रायगढ़, छ. ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 15 जून 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 7 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत लैलूंगा जिला रायगढ़ के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 7-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत लैलूंगा के आम निर्वाचन 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थबिरो यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी थबिरो यादव को दिनांक 8-5-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी थबिरो यादव को दिनांक 3-7-2015 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया.

4. अभ्यर्थी थबिरो यादव ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उनका स्वास्थ्य दिनांक 4-2-2015 को ठीक नहीं होने के कारण अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने हेतु भिजवाया था किन्तु दस्तावेजों में कुछ कमी होने के कारण वे निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा

जमा नहीं कर पाये. जिसे उन्होंने पूर्ण दस्तावेज के साथ दिनांक 6-2-2015 को क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय जिला रायगढ़ में जमा करा दिया था. उनके द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, उनका निर्वाचन व्यय लेखा मान्य किये जाने का निवेदन किया. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 648/स्था. निर्वा./व्यय लेखा/2015 दिनांक 19-10-2015 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी के जवाब पर विलंब के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है.

5. अभ्यर्थी थबिरो यादव को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15 मार्च 2016 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहा. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी थबिरो यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**-प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**-अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत लैलूंगा के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी थबिरो यादव ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपनी स्वास्थ्यगत समस्या के कारण निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में दाखिल न कर दिनांक 6-2-2015 को दाखिल कर पाने का उल्लेख किया है. इसकी पुष्टि में उन्होंने कोई दस्तावेजी अथवा अन्य सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 15 मार्च 2016 को सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहा. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी थबिरो यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा वह इस असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी थबिरो यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष छै: माह की कालावधि के लिये नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 15 जून, 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.